संख्या-1/2021/645/30-2-2021-2(19)2007 टी0सी0

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 09 सितम्बर,2021**

विषय:- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्मिकों को 01.07.2020 से 07 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-04एफए/21-499एफए/74/15 दिनांक 05.03.2021 के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (इम्पावर्ड कमेटी) की बैठक दिनांक 24.08.2021 के कार्यवृत्त, जिसकी प्रति सार्वजनकि उद्यम अनुभाग-1 के पृष्ठांकन संख्या-542/44-1-2021 दिनांक 02.09.2021 द्वारा आपको भी प्रेषित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे गठित अधिकृत समिति (इम्पावर्ड कमेटी) की बैठक दिनांक 24.08.2021 में निम्नवत् निर्णय लिये गये है :-

(1) उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान में मूल वेतन का 07 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिनांक 01.07.2020 से अनुमन्य किया गया जाता है।

(2) दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 01.07.2020 के मध्य का कोई एरियर देय नहीं होगा।

(3) भविष्य में मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई किश्तों का भुगतान की अनुमति के लिये निगम पुन: प्रकरण अधिकृत समिति (Empowered Committee) के समक्ष रखेगा।

अत: अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आने वाला वित्तीय व्यय-भार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई कोई वित्तीय सहायता देय न होगी।

ह0/-
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2021/645(1)/30-2-2021-2(19)/17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उनके पृष्ठांकन संख्या-542/44-1-2021 दिनांक 02.09.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in